10

शासनादेश संख्या--2558/III(2)/06-- 17(प्रा.आ.)/06 दिनांक 25 सितम्बर,2006 का संलग्नक

(धनराशि लाख रुपये में)

क0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी. में)	अनुमानित लागत	टी0ए0सी0 वित्त द्वारा आंकलित राशि	वित्तीय वर्ष 2006-07 में व्यय की स्वीकृति
1	2	3	4	5	6
1.	देहरादून में टी0एस0पी0 के अन्तर्गत दारागाड़--कथियान मोटर मार्ग से विस्तृत हल्का वाहन मार्ग का मो0 मार्ग में परिवर्तन (मु.म.घो.)	7.00	135.80	135.80	0.10
2.	देहरादून में क्वांसी डामटा मोटर मार्ग का विस्तार किमी0 23 से 27.5 तक(मु.म.घो.)	5.50	89.10	89.10	0.10
3.	देहरादून में रावना पुरोड़ी मोटर मार्ग का नव निर्माण	6.00	97.20	97.20	0.10
4.	देहरादून में बिरमंऊ काण्डी से बिरमऊ ह0वा0 मार्ग का मो0 मार्ग में परिवर्तन एवं पक्कीकरण	4.00	77.60	77.60	0.10
5.	देहरादून में अणु--चिल्हाड़ ह0वा0 मार्ग का 5.95 मी0 के पक्के मोटर मार्ग में सुधार	3.00	58.20	58.20	0.10
6.	देहरादून में जोशीगोथान मोटर मार्ग का नवनिर्माण 5.95 मी0 चौड़ा (किमी0 1--3)	3.00	35.70	35.70	0.10
7.	मंसूरी चकराता मोटर मार्ग से लखवाड़ मंदिर तक मोटर मार्ग का पुर्ननिर्माण एवं सुधार कार्य	1.5	21.30	21.30	0.10
8.	चकराता लाखामण्डल मार्ग के किमी0 61 (लाखामण्डल आबादी भाग) का सुधार एवं पक्की नाली का निर्माण	1.00	10.80	10.58	0.10
9.	देहरादून में नागथात से बिसोई ह0वा0 मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं पक्कीकरण	4.00	77.60	77.60	0.10
10.	देहरादून में शम्भू की चौकी से पंजिया सम्पर्क मार्ग का बनसाड तक विस्तार	6.00	97.20	97.20	0.10
11.	देहरादून में डांडा टिकरी देसंऊ--देऊ मोटर मार्ग का नव निर्माण	3.00	48.60	48.60	0.10
12.	चमोली में माड़ा से बामणी गांव तक 3 किमी0 मोटर मार्ग एवं 70 मी0 स्पान मोटर सेतु	3.00 + 1 सेतु	228.90	228.90	0.10
13.	देहरादून में मांगटी--पोखरी--ककनोई ह0वा0 मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं उपरोक्त मार्ग में आर.सी.सी. सेतु निर्माण	5.00+ 20 मी0 सेतु	151.95	151.95	0.10
14.	देहरादून में काण्डा--बुनाड मोटर मार्ग का पुर्ननिर्माण एवं सुधार कार्य	4.00	73.20	73.20	0.10
15.	पिथौरागढ़ में तहसील मुख्यालय धारचूला शहर के आन्तरिक मार्गों का पुनः निर्माण	--	66.46	64.66	0.10

11

16.	देहरादून में सारनी मोटर मार्ग का निर्माण	3.50	56.70	56.70	0.10
17.	देहरादून में त्यूनी--चकराता मोटर मार्ग से भंगार सम्पर्क मार्ग का विस्तार	4.00	64.80	64.80	0.10
18.	देहरादून में बिरमऊ मार्ग का विस्तार	6.50	105.30	105.30	0.10
19.	देहरादून में मागटी--पोखरी--कंकनोई मोटर मार्ग से कचटा तक मोटर मार्ग का विस्तार	13.00	210.60	210.60	0.10
20.	देहरादून में (फेज-- I) खारसी सम्पर्क मोटर मार्ग से इन्द्रोली, कन्दाड़ मोटर मार्ग का विस्तार	3.00	48.60	48.60	0.10
21.	देहरादून में खारसी मार्ग से मोहना मार्ग का चौडीकरण एवं पक्कीकरण	3.00	54.90	54.90	0.10
22.	देहरादून में पुरोड़ी--टगरी मोटर मार्ग का दोऊ तक विस्तार	3.50	56.70	56.70	0.10
	कुल योग		1867.21	1865.19	2.20

(रुपये दो लाख बीस हजार मात्र)

(टी० के० पन्त)
संयुक्त सचिव।

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
अ. खण्ड लो नि वि
साहिया (कालसी)

Photo Copy attested.

Assistant Engineer
Ty. Div. P. W. D.
Sahiya (Kalsi)

146-Co-2006-07

विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक– 31.03.2007 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय।

12. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त विवरण प्रस्तुत किये जाने के बाद ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

13. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

14. इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006–07 में समाज कल्याण विभाग के अनुदान सं0–31–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –04 जिला तथा अन्य सड़कें– आयोजनागत–796– जनजातिय क्षेत्र उपयोजना–01– नया नर्माण कार्य–00–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

15. **यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–यू.ओ.–618/XXVII/(2)/2006 दिनांक 21 सितम्बर, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।**

संलग्नकः– 22 कार्यों की सूची।

भवदीय,

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या–2698(1)/III–2/06,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. आयुक्त गढ़वाल/कुमांयू मण्डल, पौडी/नैनीताल।
4. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तरांचल।
5. मुख्य अभियन्ता, कुमांयू/गढवाल क्षेत्र, लो.नि.वि., अल्मोड़ा/पौडी।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल शासन।
9. लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तरांचल शासन।
10. गार्ड बुक।

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
अ. ख. लो. नि. वि.
साहिया (कालसी)

आज्ञा से,

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

Photo Copy attested.

Assistant Engineer
Ty. Div. P. W. D.
Sahiya (Kalsi)

144-Go-2006-07

(5)

शासनादेश संख्या-1398/III(2)/05-48 (प्रा.आ.)/05 दिनांक 29 अगस्त, 2005 का संलग्नक

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी.)	अनुमानित लागत	टी0ए0सी0 वित्त द्वारा आंकलित राशि	वित्तीय वर्ष 2005-06 में व्यय की स्वीकृति
1	2	3	4	5	6
1	जनपद देहरादून में टी.एस.पी. के अर्न्तगत साहिया-पाटन-समाल्टा-डामटा-पानुआ मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण	14.00	226.70	226.00	3.00
2	इच्छला-फटेउ मार्ग का मसूरी-चकराता मोटर मार्ग तक विस्तार टी.एस.पी. के अर्न्तगत।	2.00	27.80	27.80	0.20
3	देहरादून में बौसान बैण्ड से ग्राम बोसान तक हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन करना तथा किमी. 2 से व्यासी तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण	5.00	52.50	52.00	0.30
4	टी.एस.पी. के अर्न्तगत देहरादून में काहा-नेहरा-पुनाहा हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग मे परिवर्तन करना	8.00	43.00	43.00	0.20
5	टी.एस.पी. के अर्न्तगत देहरादून में काहा-नेहरा-पुनाहा मार्ग का भेडा-वालनू होते हुए सकरोल तक विस्तार	7.00	97.00	97.00	0.50
6	वानसू-जखनोग धनपउ गाई-छनास मोटर मार्ग का निर्माण	8.00	111.20	111.00	1.00
7	बैराटखाई गागरो मोटर मार्ग से रिन्धौर होते हुए गुन्धान तक मोटर मार्ग का निर्माण	5.00	69.50	69.00	0.40
8	डाडुवा कितरौली सम्पर्क मार्ग का निर्माण	7.00	97.30	97.00	0.50
9	देहरादून में नराया लोरली हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन करना तथा पक्कीकरण का कार्य	16.00	320.80	290.72	2.00
10	मंगरौली-चकराता सम्पर्क मार्ग का निर्माण	7.00	84.40	84.00	0.50
11	कोटी डिमउ मोटर मार्ग से लेल्टा तक हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन करना तथा पक्कीकरण का कार्य	7.00	109.20	96.00	0.50
12	देहरादून में पंजीटिलानी से चन्दउ-सुपउ केशउ सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण तथा हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन करना	11.00	102.00	101.00	0.50
13	जन्देउ वाडो सडक का गागरो होते हुए सबमरजैन्स मोटर मार्ग तक विस्तार	2.00	27.80	27.80	0.20
14	कोटी-डिमऊ डाण्डा मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण	16.00	242.95	224.00	3.00

Photocopy attested by
(MeKs)

उपसचिव

10. यदि उक्त कार्यो में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

11. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2006 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय।

12. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त विवरण प्रस्तुत किये जाने के बाद ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

13. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

14. इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–06 में समाज कल्याण विभाग के अनुदान सं0 –31–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –04 जिला तथा अन्य सड़के–आयोजनागत–796– जनजातिय क्षेत्र उपयोजना–01– नया निर्माण कार्य–00–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

15. यह आदेश वित्त अनुभाग–3 के अशासकीय संख्या–यू.ओ.–1306/XXVII/(3)/2005 दिनांक 20 अगस्त, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:– 26 कार्यों की सूची।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
अनु सचिव।

संख्या– 1398 (1)/III–2/05,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल, इलाहाबाद/ देहरादून।
2– आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौडी।
3– जिलाधिकारी /कोषाधिकारी, देहरादून
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5– निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल देहरादून।
6– मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र लो0नि0वि0, पौडी।
7– अधीक्षण अभियन्ता 24 वां वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून।
8– वित्त अनुभाग–3/ वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तरांचल शासन।
9– लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तरांचल शासन/समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ।
10– गार्ड बुक।
11– अपर सचिव, मुख्य प्रधान मन्त्री सभा डिस्क

Photocopy

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
अनु सचिव।

	देहरादून में हैया-अलसी ककाडी सम्पर्क मार्ग का विस्तार	6.00	70.50	70.50	0.50
	लेल्टा से पाटा मण्डोली तक सम्पर्क मार्ग का विस्तार	6.00	83.40	83.40	0.50
	देहरादून में सैरा पणायसा मोटर मार्ग के निर्माण का प्रारम्भिक आगणन	4.00	55.60	55.60	0.30
	देहरादून में शम्भू की चौकी से [illegible] सम्पर्क मार्ग के निर्माण का प्रारम्भिक आगणन	5.00	65.20	65.20	0.50
9	दोधा सम्पर्क मार्ग का विस्तार	4.00	55.60	55.60	0.30
0	कालसी चकराता मोटर मार्ग के किमी. 9 पर 18 मी0 स्पान के आर.सी.सी. सेतु का कार्य	18 मी0	24.50	23.00	0.20
1.	कालसी चकराता मोटर मार्ग का सहिया तक चौडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य	20.00	385.28	359.50	4.00
2	कालसी चकराता मोटर मार्ग के किमी. 11 पर 10 मी0 स्पान के आर.सी.सी. सेतु का कार्य	10 मी0	14.00	13.40	0.20
	विकासनगर के अन्तर्गत गेहुवाला खालसा डांडा जंगल के मध्य नाले पर पुल के निर्माण का कार्य	20 मी0	20.24	20.00	0.20
	कालसी चकराता मोटर मार्ग के किमी. 11 पर 20 मी0 स्पान के आर.सी. सी. सेतु के निर्माण का कार्य	20 मी0	27.30	26.00	0.20
	[illegible]शी घाटी देऊ हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन का कार्य	3.00	16.20	16.00	0.20
	[illegible]कासनगर कालसी के अन्तर्गत [illegible]री-फार्म--तिलवाडी भूड मोटर मार्ग से हरिपुर [illegible]कोटी मार्ग तक मार्ग के विस्तार का कार्य	0.950	23.93	23.93	0.20
	कुल योग		2453.90	2358.45	20.00

(रूपये बीस लाख मात्र)

(प्रदीप सिंह रावत)

अनु सचिव।

टी.एस.पी.
संख्या– 2658/III–2/05–17(प्र.आ.)/06

प्रेषक,

टी0 के0 पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 25 सितम्बर, 2006

विषयः– वित्तीय वर्ष 2006–07 में टी.एस.पी.योजना के अर्न्तगत 22 (बाईस) कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये 22 कार्यों के रूपये 1867.21 लाख की लागत के आगणनों पर टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रूपये 1865.19 लाख (रूपये अठारह करोड़ पैंसठ लाख उनीस हजार मात्र) की धनराशि की लागत के आगणन को उनके सम्मुख अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख कालम–06 में अंकित विवरणानुसार कुल रू0 2.20 लाख (रू0 दो लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006–07 में व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरियता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा ले। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय,एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाय।

10. यदि उक्त कार्यो में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

11. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ

4c (3)

टी.एस.पी.
संख्या–1398/ III–2/05–48(प्रा.आ.)/05

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
अनु सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 29 अगस्त, 2005

विषयः– वित्तीय वर्ष 2005–06 में टी.एस.पी.योजना के अन्तर्गत 26 (छब्बीस) कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0 1606/68 याता–स0/05 दिनांक 10.6.05 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची में आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये 43 कार्यों में से 26 कार्यों को समाज कल्याण विभाग द्वारा टी.एस.पी. के कार्यों हेतु उपयुक्त पाये हुए रूपये 2453.90 लाख की लागत के आगणनों पर टी.ए.सी. वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी रूपये 2358.45 लाख (रू0 तेईस करोड़ अट्ठावन लाख पैंतालीस हजार मात्र) की लागत के आगणनों की टी.एस.पी. योजना के अन्तर्गत उनके सम्मुख अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिए उनके सम्मुख कालम–06 में अंकित विवरणानुसार कुल रू0 20.00 लाख (रू0 बीस लाख मात्र) की धनराशि के व्यय की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की व्यवस्था की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरियता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

3 कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6 कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य कर लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

8 आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय,एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9 निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

9/2/2009 Photocopy attested
AEPO

प्रपत्र–3

परियोजना का नाम :– शम्भू की चौकी से ददउ–पजिया–बनसार ठुरउ तक विस्तार कि0मी0 2 से 11 तक मार्ग के नवनिर्माण हेतु 1.8536 हे0 वन भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

परियोजना के निर्माण हेतु शासन/विभागध्यक्ष द्वारा निर्गत प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाय।

ह0/–

प्रयोक्ता एजेन्सी